

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 47 / प्र0अ0-भवन / जोन-1 / 2013-14 दिनांक 05 / 6 / 2013

विनियमितीकरण


यह विनियमितीकरण उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 के अन्तर्गत दी जा रही है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर शमन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मित्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्रीमती शीला सिंह पत्नी श्री के0एन0 सिंह द्वारा पार्ट आफ साइट नं0-ए-3 सिविल स्टेशन इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अन्तर्गत दाखिल विनियमितीकरण मानचित्र की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदनादेश दिनांक 16.05.2013 के द्वारा निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-


1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं तत्समय समस्त औपचारिकतायें पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
4. स्थल पर 02 वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदिका का होगा।
5. स्थल का अधिभोग/उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार करना होगा, जिसमें भूतल पर व्यवसायिक एवं प्रथम तल पर आवासीय उपयोग अनुमन्य किया गया है।
6. अशमनीय भाग को स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर ध्वस्त कराना होगा तथा इस सम्बन्ध में दिये गये शपथ पत्र दिनांक 28.05.2013 का अनुपालन बाध्यकारी होगा।
7. अशमनीय भाग को गिराये जाते समय यह सुनिश्चित किया जाय कि जन-धन की किसी प्रकार की हानि न होने पाये, अन्यथा इसका उत्तर दायित्व आवेदिका/सम्बन्धित इन्जीनियर जिनके द्वारा स्ट्रक्चरल सेपटी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है का होगा।
8. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी, स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
9. विभिन्न समय पर जारी शासनादेश व नियमों का पालन करना होगा तथा प्राधिकरण यदि कोई शुल्क आरोपित करता है तो उसे पक्ष को जमा करना होगा।
10. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
11. यदि भूखण्डों का उप-विभाजन अथवा पार्क एवं रोड इत्यादि का अतिक्रमण विकासकर्ता द्वारा किया जाता है तो इ0वि0प्र0 द्वारा नियमानुसार उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
12. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पट्टी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
13. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
14. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
15. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

महोदय श्री 05/06/2013 को प्रेषित व विनियमितीकरण पत्र प्राप्त किया।
05/06/2013

(गुडाकेश शर्मा)
संयुक्त सचिव/प्र0अ0-भवन
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद




BASEMENT FLOOR PLAN




FRONT ELEVATION




SECTION AT-A-B



GROUND FLOOR PLAN



FIRST FLOOR PLAN



SITE PLAN

NOTE:-
LINE CONC. IN FOUNDATION
FLOORING OVER R.C.C. SLAB

TOTAL AREA OF PLOT	234.28	M ²
ROAD WIDENING	94.75	M ²
NET PLOT AREA	139.53	M ²
EXISTING SANCT. AREA ON G.F.	119.53	M ²
EXISTING SANCT. AREA ON F.F.	119.53	M ²
OPEN AREA ON G.F.	50.45	M ²
MUNITY AREA	11.57	M ²
ADHVED FAR	0.18	M ²

THIS IS CERTIFIED THAT THIS MAP IS ACCORDING TO BUILDING BYE LAWS 2012 AND ALLAHABAD MASTER PLAN - 2021

EXISTING & COMPOUNDING COMMERCIAL CUM RESIDENTIAL BUILDING PLAN OF PART OF BUNGLOW NO. 234 AT LAL BHADUR SHASTRI MARG ON CIVIL SITE NO. A/5 CIVIL STATION CIVIL LINES ALLAHABAD

SCALE: 1:100

OWNER - SMT. SHEELANAGI
NO. 59, KALASHI BHARVIN SINGH

SN	FLOOR	COMPOUNDING			
		PERMITS/SA	SACTION	F.S.B	B.S.B. G.S.B. GENERAL
1	BASE	46.30	38.80	-	6.40 15.91 = 19.41
1	G.F.	80.78	53.13	-	6.40 12.93 = 19.43
1	F.F.	80.78	53.13	-	6.40 12.93 = 19.43

CREATIVE CONSTRUCTION
DR. R. K. Mishra (as per plan)
Reg. No. 2022/27915
14/09/2023
12/09/2023
12/09/2023
12/09/2023
12/09/2023
12/09/2023

Sd/-
SIG. OF OWNER